



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"लेखा / बजट वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्रांक- 1547/21 बजट (वा0स0यो0) / 2017-18
सेवा में,

दिनांक- 18 .01.2018

परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता,
पी0एम0यू0, ए0डी0बी0(सड़क)
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-
सन्दर्भ:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में ए.डी.बी. पोषित/वाह्य सहायतित योजना के कार्यों में समायोजन/आवंटन के सम्बन्ध में।
(1) शासनादेश संख्या- 52 / III (3)/2018-903 (ए0डी0बी0)/08 टी0सी0 दि0-12.01.2018
(2) शासनादेश संख्या- 788 / III (3)/2017-903 (ए0डी0बी0)/08 टी0सी0 दि0-11.10.2017
(3) शासनादेश संख्या- 415 / III (3)/2017-903 (ए0डी0बी0)/08 टी0सी0 दि0-05.06.2017
(4) इस कार्यालय का पत्र संख्या 1420/21 बजट(वा0स0यो0)/2017-18 दिनांक 20.12.2017
(5) परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता पी.एम.यू.ए.डी.बी.लो.नि.वि. देहरादून का पत्र संख्या 74/08 पी.एम.यू.ए.डी.बी.(सड़क)/2017 दि0 17.01.17

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों (क्रमांक- 2 एवं 3) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु0 संख्या-22, लेखाशीर्षक- 5054 (पूँजीगत) विश्व बैंक सहायतित योजना/वाह्य सहायतित योजना (ए0डी0बी0 पोषित कार्य) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 28500.00 लाख के सापेक्ष रू0 16000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसका अंतिम आवंटन इस कार्यालय के संदर्भित पत्र (क्रमांक-4) द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों को कर दिया गया था, इसी क्रम में संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.01.2018 (क्रमांक-1) द्वारा तृतीय किस्त के रूप में 12000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0(ए0डी0बी0) लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक 17.01.2018 (क्रमांक-5) द्वारा रू0 12000.00 लाख की माँग सूचित कराई गई है। सूचित माँग के परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणानुसार खण्डों को रू0 12000.00 लाख (रू0 एक सौ बीस करोड़ मात्र) की धनराशि इंगित शर्तों के अन्तर्गत समायोजित/आवंटित की जाती है।

शर्तों:- (1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्त हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय/अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) संलग्न विवरणानुसार आवंटित धनराशि का व्यय ए0डी0बी0 की गाइड लाईनों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दि0 31.03.2018 से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा किसी भी दशा में आवंटित धनराशि न तो लेप्स की जायेगी, और न ही वचत धनराशि का समर्पण मान्य होगा।

(3) योजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार होने, तैयार डी0पी0आर0का शासकीय एवं विभागीय मानको के अनुरूप शतप्रतिशत उपयोगी पाये जाने तथा योजना से सम्बन्धित एम0ओ0यू0 की शर्तानुसार कन्सलटेन्सी सम्बन्धी कार्य सन्तोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(4) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) नियमविरुद्ध किये गये व्यय तथा मानकों के विरुद्ध किये गये व्यय हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे जिनके विरुद्ध आवश्यक कठोरतम् कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-पूँजीगत-337 सड़क निर्माण कार्य-97 वाह्य सहायतित योजना/ए0डी0बी0/विश्व बैंक सहायतित योजना-01 निर्माण/सुदृढीकरण-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- खण्डवार आवंटन की प्रति।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड (लेखा एवं लेखा परीक्षा) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड को साख-सीमा जारी करने हेतु।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त लो0नि0वि0, टिहरी/पिथौरागढ़।
5. अधिशासी अभियन्ता निर्माण/निर्माण खण्ड नं0-2, /नि0ख0 (ए0डी0बी0) लो0नि0वि0,.....।

संलग्न:- खण्डवार आवंटन की प्रति।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

18/1/18

पत्रांक 1547/21 बजट (वा0स0यो0)/2017-18 दि 01/01/2018 का संलग्नक।
 वित्तीय वर्ष 2017-18 में ए0डी0बी0 पोषित/वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत समायोजन/आवंटन।

अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054-04-337-97-01-24 (पूँजीगत)

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	कार्यालय/खण्ड का नाम	दि0 01.08.2017 को अवशेष (Spill Over)	पूर्व आवंटन			अब आवंटन			महायोग		
			स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्यो हेतु	कन्सल्टेन्सी, सुपरविजन भुगतान एवं कार्यालय प्रबन्धन/अधिष्ठान हेतु	योग (कालम 4+5)	स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्यो हेतु	कन्सल्टेन्सी, सुपरविजन भुगतान एवं कार्यालय प्रबन्धन/अधिष्ठान हेतु	योग (कालम 7+8)	स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्यो हेतु (का0 4+7)	कन्सल्टेन्सी, सुपरविजन भुगतान एवं कार्यालय प्रबन्धन/अधिष्ठान हेतु	योग (कालम 6+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नि0ख0-2 देहरादून (परियोजना निदेशक पी.एम.यू., ए.डी.बी. कार्यालय से सम्बन्धित)	6620.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	3000.00	3000.00
2	नि0ख0-2 देहरादून	1440.05	1300.00	9.00	1309.00	320.50	8.00	328.50	1620.50	17.00	1637.50
3	नि0ख0-2 (ए.डी.बी.) उत्तरकाशी	1554.67	396.00	2.00	398.00	500.00	7.00	507.00	896.00	9.00	905.00
4	नि0ख0 (ए0डी0बी0) गौचर	954.15	95.00	2.00	97.00	0.00	0.00	0.00	95.00	2.00	97.00
5	नि0ख0 (ए0डी0बी0) नई टिहरी	251.10	0.00	6.00	6.00	0.00	9.00	9.00	0.00	15.00	15.00
6	नि0ख0 (ए0डी0बी0) पौड़ी	843.00	525.00	5.00	530.00	40.00	0.00	40.00	565.00	5.00	570.00
7	नि0ख0-2 (ए0डी0बी0) दुगड्डा	25.77	9.60	2.00	11.60	8.00	5.00	13.00	17.60	7.00	24.60
8	निर्माण खण्ड नं0-2 अल्मोड़ा	19462.47	6434.24	16.00	6450.24	5600.00	6.00	5606.00	12034.24	22.00	12056.24
9	नि0ख0 (ए0डी0बी0) बागेश्वर	1957.99	501.00	4.00	505.00	25.00	4.00	29.00	526.00	8.00	534.00
10	निर्माण खण्ड नं0-2 नैनीताल	949.11	597.00	6.00	603.00	30.00	1.00	31.00	627.00	7.00	634.00
11	नि0ख0 (ए0डी0बी0) पिथौरागढ़	2455.17	308.16	5.00	313.16	414.00	12.50	426.50	722.16	17.50	739.66
12	नि0ख0 (ए0डी0बी0) रुद्रपुर	22749.78	3770.00	7.00	3777.00	4000.00	10.00	4010.00	7770.00	17.00	7787.00
	योग, (क0सं0 1 से 12 तक)	59263.26	13936.00	2064.00	16000.00	10937.50	1062.50	12000.00	24873.50	3126.50	28000.00